PRESS NOTE 8TH FEBRUARY 2024

Today, on 8th Feb 2024, Jan Haqq Sangharsh Samiti took a morcha of over 500 people to the M-East Ward Office against the demolitions on 6th and 7th February in Pancheel Nagar done by the BMC. Over 200 houses have been broken and 1000+ people made homeless. There were several illegal actions the BMC and police did. In our meeting with the executive engineer, A. Jadhav we demanded action and discussed the following points—

1. No notice was given for the demolition. Officers confirmed they did the demolition based on a notice put in October. They did not give 5-7 days notice for people to vacate on humanitarian grounds. They came without notice with a huge police force when only the elders and children were at home. This created huge loss to personal belongings and mental trauma. In the meeting, JHSS demanded that demolition be stopped immediately. The BMC agreed and has stopped demolition for now

2. BMC has done the demolition based on wrong data and maps. On the 7th, when we were shown the maps, glaring errors were visible. Non-existent people were in the list whereas people who have lived for 20 years were not there. It was immediately raised on the ground to stop demolitions, but the officers used the police to stop people from protesting. We discussed this in the meeting and the officers agreed to review it. We told the BMC we will send them notices for compensation for the houses that are wrongly broken.

3. On the 7th, the officers were acting in violation of their own laws. They were asking for proof prior to 2000 despite showing them the May 2018 GR which declares the new cut-off date as 2011. They refused to accept proof prior to 2011 and demolished their houses.

4. Despite residents submitting their documents in October 2023, the BMC did not follow the procedure of checking documents, producing annexure 2 of eligible and ineligible residents, and so hearings to settle objections and claims. The officers were acting as judge and jury, checking the documents on the spot, evaluating their validity and breaking houses.

5. The homes were demolished for executing the reservations of the development plan. In such an eviction, the procedure laid down in the DCPR2014-34 and the Maharashtra Slum Act 1971 were not followed and none of the houses were surveyed, put in the Annexure 2 and declared as PAP.

6. Regarding point 2,3 and 4 we demanded that the officers on the ground be immediately suspended

7. We ask for all documents, maps, data, surveys, plans related to Panchsheel Nagar.

8. We demanded that electricity and water be restored immediately as there are several school going children who have exams coming up, young children and old people.

The BMC has also requested 7 days time to respond in writing to our demands. We agreed and intimated the BMC that we will back in 7 days if they do not agree to our demands.

प्रेस नोट 8 फरवरी 2024

आज, 8 फरवरी 2024 को, जन हक संघर्ष समिति, पंचशील नगर के रहवासियों और समर्थको का बीएमसी द्वारा पंचील नगर में 6 और 7 फरवरी को की गई तोड़फोड़ के खिलाफ 500 से अधिक लोगों का मोर्चा एम-ईस्ट वार्ड कार्यालय तक पहुंचा। 200 से अधिक घर टूट गए हैं और 1000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। बीएमसी और पुलिस ने कई गैरकानूनी कार्रवाइयां करी है। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, ए. जाधव के साथ हमारी बैठक में हमने कार्रवाई की मांग की और निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की-

1. बीएमसी द्वारा तोड़फोड़ के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया। अधिकारियों ने पुष्टि की कि उन्होंने अक्टूबर में दिए गए नोटिस के आधार पर डिमोलिशन किया। उन्होंने मानवीय आधार पर लोगों को घरों को खाली करने के लिए 5-7 दिन का नोटिस नहीं दिया। वे बिना किसी सूचना के भारी पुलिस बल के साथ आये, जबकि घर पर केवल बुजुर्ग और बच्चे ही थे। इससे निजी सामान को भारी नुकसान हुआ और मानसिक आघात पहुंचा। बैठक में जेएचएसएस ने तत्काल तोड़फोड़ रोकने की मांग की। बीएमसी सहमत हो गई और फिलहाल तोड़फोड़ रोक दी है।

2. बीएमसी ने गलत आंकड़ों और नक्शों के आधार पर तोड़फोड़ की है। 7 तारीख को, जब हमें नक्शे दिखाए गए, तो स्पष्ट त्रुटियाँ दिखाई दीं। अस्तित्वहीन लोग सूची में थे जबकि 20 साल से जीवित लोग सूची में नहीं थे। विध्वंस को रोकने के लिए लोग तुरंत विरोध में खड़े हुए, लेकिन अधिकारियों ने लोगों को विरोध करने से रोकने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया। हमने बैठक में इस पर चर्चा की और अधिकारी इसकी समीक्षा करने पर सहमत हुए। हमने बीएमसी से कहा कि हम गलत तरीके से तोड़े गए घरों के मुआवजे के लिए उन्हें नोटिस भेजेंगे।

3. 7 तारीख को अधिकारी अपने ही कानूनों का उल्लंघन कर कार्य कर रहे थे। वे मई 2018 जीआर दिखाने के बावजूद 2000 से पहले का सबूत मांग रहे थे, जबकि जीआर के २०१८ के तहत नई कट-ऑफ तारीख 2011 घोषित की गई है। उन्होंने 2011 से पहले के सबूत स्वीकार करने से इनकार कर दिया और निवासियों के घरों को ध्वस्त कर दिया।

4. निवासियों द्वारा अक्टूबर 2023 में अपने दस्तावेज़ जमा करने के बावजूद, बीएमसी ने दस्तावेज़ों की जांच करने, पात्र और अपात्र निवासियों के अनुबंध 2 का उत्पादन करने और आपत्तियों और दावों को निपटाने के लिए सुनवाई की प्रक्रिया का पालन नहीं किया। अधिकारी न्यायाधीश और जूरी के रूप में कार्य कर रहे थे, मौके पर दस्तावेजों की जांच कर रहे थे, उनकी वैधता का मूल्यांकन कर रहे थे और घरों को तोड़ रहे थे।

5. विकास योजना के आरक्षण को क्रियान्वित करने के लिए घरों को ध्वस्त कर दिया गया। इस तरह के निष्कासन में, डीसीपीआर 2014-34 और महाराष्ट्र स्लम अधिनियम 1971 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और किसी भी घर का सर्वेक्षण नहीं किया गया, अनुबंध 2 में रखा गया और पीएपी घोषित किया गया।

6. बिंदु 2,3 और 4 के संबंध में हमने मांग की कि जमीन पर मौजूद अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाए

7. हम पंचशील नगर से संबंधित सभी दस्तावेज़, मानचित्र, डेटा, सर्वेक्षण, योजनाएं मांगते हैं। 8. हमने मांग की कि बिजली और पानी तुरंत बहाल किया जाए क्योंकि कई स्कूल जाने वाले बच्चे हैं जिनकी परीक्षाएं आने वाली हैं, छोटे बच्चे और बूढ़े लोग हैं।

बीएमसी ने हमारी मांगों पर लिखित रूप से जवाब देने के लिए 7 दिन का समय भी मांगा है। हम सहमत हुए और बीएमसी को सूचित किया कि अगर वे हमारी मांगों पर सहमत नहीं हुए तो हम 7 दिनों में वापस आ जाएंगे।